भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †4128
दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए

तेलंगाना में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक

†4128. डॉ. मल्लू रविः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने खनिज ब्लॉक नीलामी के हाल के चरणों के अंतर्गत तेलंगाना में टाइटेनियम, वैनेडियम, गैलियम और एल्यूमीनियस लेटेराइट युक्त महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक पेश किए हैं और यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक ब्लॉक के स्थान, अनुमानित खनिज संसाधनों और वर्तमान नीलामी स्थिति का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या अन्वेषण से तेलंगाना में दुर्लभ मृदा तत्त्वों, लिथियम या संबद्ध खनिजों सहित किसी अन्य महत्वपूर्ण खनिज की उपस्थिति का संकेत मिला है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा ऐसे ब्लॉकों के त्वरित अन्वेषण और परिचालन हेतु तथा तेलंगाना में महत्वपूर्ण खनिजों के डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण और मूल्य-संवर्धन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) और (ख): भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गोविंदपुर वैनेडियम, टाइटेनियम और एल्युमिनस लेटेराइट मिनरल ब्लॉक और पर्वतपुर वैनेडियम, टाइटेनियम और एल्युमिनस लेटेराइट मिनरल ब्लॉक, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा सफलतापूर्वक नीलाम किया गया है, में विभिन्न ग्रेड और कट-ऑफ़ के टाइटेनियम, वैनेडियम और एल्युमिनस लेटेराइट संसाधनों की पुष्टि की है। विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, जीएसआई ने तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के पेटा गंगाराम में 500 पीपीएम कट-ऑफ़ पर 746 पीपीएम के ग्रेड औसत के साथ दुर्लभ मृदा तत्वों (टीआरईई) के कुल 8.15 मिलियन टन (एलुवियम) के एक अनुमानित संसाधन (जी3) की पुष्टि की है।

इसके अतिरिक्त, जीएसआई ने केंद्र सरकार को तेलंगाना में एल्युमिनस लेटेराइट (संबद्ध खनिजों-वैनेडियम, स्कैंडियम और गैलियम) से संबद्ध महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों से संबंधित तीन भूवैज्ञानिक ज्ञापन समेकित अनुज्ञप्ति के रूप में नीलामी के लिए विचार करने हेतु प्रस्तुत किए हैं। इनमें से, विकाराबाद जिले में बासवापुर टाइटेनियम, वैनेडियम, गैलियम और एल्युमिनस लेटेराइट ब्लॉक को महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी के 8वें ट्रेंच के तहत नीलामी हेतु अधिसूचित किया गया है।

(ग): तेलंगाना में खनिज ब्लॉकों के प्रचालन में तेजी लाने और डाउनस्ट्रीम महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:

i. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में मध्यवर्ती समय-सीमा आरंभ करने, अधिमानित बोलीदाता की स्वत: घोषणा और आशय पत्र (एलओआई) का स्वत: निर्गमन, बोलीदाताओं और राज्य सरकारों द्वारा होने वाली देरी के लिए जवाबदेही और शीघ्र प्रचालन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन शुरू करने के लिए संशोधन किया गया है।
ii. नीलाम किए गए ब्लॉकों की निरंतर निगरानी के लिए खान मंत्रालय में एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना की गई है।
iii. नीलामी से प्रचालन तक खनिज ब्लॉक के जीवनचक्र की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में एकीकृत खनन पोर्टल (यूएमपी) का विकास।
iv. सचिव (खान) की अध्यक्षता में खनिज ब्लॉकों की नीलामी और प्रचालन की प्रगति की निगरानी करने तथा सामने आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।
v. माननीय केंद्रीय खान मंत्री और सचिव (खान) की अध्यक्षता में खनन, वन, पर्यावरण, राजस्व विभागों के संबंधित अधिकारियों और संबंधित बोलीदाताओं के साथ राज्य-विशिष्ट समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।
vi. प्रमुख खनिज राज्यों द्वारा नीलामी प्रक्रिया से पूर्व भूमि निर्धारण संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए नीलामी-पूर्व समितियों का गठन किया गया है ताकि

बोलीदाताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और शीघ्र प्रचालन को सुगम बनाया जा सके।

vii. नीलाम की गई खानों के प्रचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और उनके शीघ्र प्रचालन के लिए प्रमुख खनिज राज्यों द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया है।

viii. पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम (एसएएससीआई) के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य सरकारों को प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गति तेज करने और खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

ix. मौजूदा खनन पट्टों में नए खनिजों को शामिल करने का प्रावधान, खनन पट्टा (एमएल)/समेकित अनुज्ञप्ति (सीएल) के लिए एकमुश्त क्षेत्र विस्तार और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए कैप्टिव खानों से खनिजों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने सहित विधायी और नीतिगत सुधार किए गए हैं।

x. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा खनिज गवेषण और खनन से लेकर खनिज संवर्धन, प्रसंस्करण और अंतिम उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक सभी चरणों को शामिल करते हुए भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 29 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को अनुमोदित किया है।

अनुलग्नक **1**

'तेलंगाना में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक' के संबंध में दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **4128** के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	खनिज ब्लॉक का नाम	जिला	सीएल/एमएल	
1.	गोविंदपुर वैनेडियम टाइटेनियम और एल्युमिनस लेटेराइट माइन ब्लॉक	संगारेड्डी	सीएल	वैनेडियम: 37.88 एमटी @ 0.35% V_2O_5 (500 ppm V कट-ऑफ़)। टाइटेनियम: 40.21 एमटी @ 4.5% TiO_2 (3% TiO_2 कट-ऑफ़)। एल्युमिनस लैटेराइट: 67.03 एमटी @ 29.02% Al_2O_3
2.	पर्वतपुर वैनेडियम टाइटेनियम और एल्युमिनस लेटेराइट माइन ब्लॉक	संगारेड्डी	सीएल	वैनेडियम: 15.26 एमटी @ 0.404 % V_2O_5 (कट-ऑफ़ 0.3 % V_2O_5) टाइटेनियम: 45 एमटी @ 3.83 % TiO_2 (कट-ऑफ़ 3-5% TiO_2) और 6.3 एमटी @ 5.49 % TiO_2 (कट-ऑफ़ 5% से अधिक TiO_2) एलुमिनस लेटेराइट: 87 एमटी @ 29.23 % Al_2O_3